बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

अधिसूचना

4672 21/12/2022

सं0सं0–01/भू0अ0नि0 (5) नियमावली संशोधन (वि0सर्वे0संविदा नियोजन)–05/2022.........पटना दिनांकः

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**–(1) यह नियमावली **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन (संशोधन) नियमावली, 2022''** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–3 के उप नियम–1 (च) एवं (ज) का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2019 के नियम–3 के उप नियम–1 (च) को विलोपित एवं 1 (ज) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–**

''(ज) कार्यालय परिचारी (बाह्यस्त्रोत)''

3. **बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–3 के उप नियम–3 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2019 के नियम–3 के उप नियम–3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–**

''**(3)**कार्यालय परिचारी (बाह्यस्त्रोत) की सेवाएँ बाह्यस्त्रोत एजेंसी से तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएँ बेल्ट्रॉन के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।''

4. **बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–3 के उप नियम–4 (ग) का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2019 के नियम–3 के उप नियम–4 (ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–**

''NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय सर्वेयर ट्रेड पाठ्यक्रम में प्रमाण–पत्र प्राप्त योग्यताधारी की सेवाएँ अमीन के रूप में प्राप्त की जा सकेगी''।

5. **बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–4 का प्रतिस्थापन ।– उक्त नियमावली, 2019 के नियम–4 के निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–**

''**(4)** उपरोक्त सभी पदों के लिए उम्र सीमा राज्य सरकार में नियुक्ति के लिए विहित मानदंडों के अनुरूप होगी। उम्र की गणना नियोजन वर्ष के जनवरी माह की प्रथम तिथि से की जाएगी।''

6. **बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–6 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2019 के नियम–6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–**

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता।

क्रम संख्या	पदनाम	अर्हता
1	2	3
1	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	सिविल इंजिनियरिंग में स्नातक +2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव (दो वर्ष का सरकारी/निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव)
2	विशेष सर्वेक्षण कानूनगों	सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा +2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव (दो वर्ष का सरकारी/निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव)
3	विशेष सर्वेक्षण अमीन	सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा
4	अमीन	NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय सर्वेयर ट्रेड पाठ्यक्रम में प्रमाण–पत्र प्राप्त योग्यताधारी की सेवाएँ अमीन के रूप में प्राप्त की जा सकेगी।
5	विशेष सर्वेक्षण लिपिक	स्नातक
6	कार्यालय परिचारी (बाहयस्त्रोत)	मैट्रिक

7. **बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–7 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2019 के नियम–7 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–**

चयन की प्रक्रिया :–

1. पदों पर चयन **"बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECE Board)"** के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

2. चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्ति के 50 प्रतिशत तक का प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची के अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा।

3. चयन चालू योजना के वर्त्तमान योजना अवधि विस्तार तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।"

4. चयन हेतु अधियाचना विभाग द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECE Board) को उपलब्ध करायी जायेगी तथा चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा एवं प्रतीक्षा सूची प्राप्त की जायेगी।

5. समय–समय पर रिक्त हुए पदों को प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जा सकेगा।

6. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECE Board) से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई हेतु नियोजन समिति का गठन निम्नवत् होगा :–

(i)	निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, पटना	– अध्यक्ष
(ii)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव के अन्यून स्तर के पदाधिकारी	– सदस्य
(iii)	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित पदाधिकारी	– सदस्य
(iv)	अल्पसंख्यक वर्ग के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी	– सदस्य
(v)	सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय	– सदस्य सचिव

8. बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8 के उप नियम–4 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2019 के नियम–8 के उप नियम–4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"(4) समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी/बन्दोबस्त पदाधिकारी के प्रतिवेदन अथवा अन्य साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात् चयनित कर्मी को हटाने का अधिकार निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को होगा। वे किसी भी कर्मी को हटाने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा नियोजन समाप्त किये जाने पर अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समक्ष 45 दिनो के अन्दर अपील किया जा सकेगा।"

9. बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–9 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2019 के नियम–9 के निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"(9) सफल चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के पश्चात् विभाग/निदेशालय द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार जिला/राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें नियोजित कर्मियों को प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

10. बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–9 के बाद नया उप नियम – 9 (1) का जोड़ा जाना।– निम्नलिखित उप नियम–9 (1) उक्त नियमावली, 2019 के नियम–9 के बाद जोड़ा जाएगा :–

9 (1) नियोजित कर्मियों का मानदेय :– नियोजित कर्मियों का मानदेय सरकार द्वारा निर्धारित होगा। पारिश्रमिकी/मानदेय में यदि राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई संशोधन/परिवर्तन (वृद्धि/कमी) किया जाता है तो उक्त नियोजित कर्मियों को संशोधित/परिवर्तित (वृद्धि/कमी) मानदेय अनुमान्य किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ब्रजेश 20/12/22

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–01/भू0अ0नि0(5)नियमावली संशोधन(वि0सर्वे0संविदा नियोजन)–05/2022...4672 पटना दिनांक: 21/12/2022

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

ब्रजेश 20/12/22

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01/भू0अ0नि0(5)नियमावली संशोधन(वि0सर्वे0संविदा नियोजन)–05/2022...4672 पटना दिनांक: 21/12/2022

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सभी समाहर्त्ता/सभी विभागीय निदेशालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ब्रजेश 20/12/22

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक—01 / भू0अ0नि0(5)नियमावली संशोधन(वि0सर्वे0संविदा नियोजन)—05 / 2022 4672 पटना दिनांकः 2/12/2022

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस सूचना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक—01 / भू0अ0नि0(5)नियमावली संशोधन(वि0सर्वे0संविदा नियोजन)—05 / 2022 4672 पटना दिनांकः 2/12/2022

प्रतिलिपि—अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई—गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (सी0डी0 सहित)।

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
अपर मुख्य सचिव